



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 4, 2014/फाल्गुन 13, 1935

No. 106]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 4, 2014/PHALGUNA 13, 1935

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

सा.का.नि. 150 (अ).—केंद्रीय सरकार, नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटरी नियम, 1956 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटरी (संशोधन) नियम, 2014 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. नोटरी नियम, 1956 (जिन्हें इसमें इसके बाद मूल नियम कहा गया है) के नियम 8-ख में, “तीन मास” शब्दों के स्थान पर “छह मास” शब्द रखे जाएंगे।
3. मूल नियमों के नियम 9 में, खंड (क) से (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“ (क) व्यवसाय का प्रमाणपत्र जारी करना	2000 रु०
(ख) व्यवसाय के क्षेत्र में विस्तार	1500 रु०
(ग) व्यवसाय के प्रमाणपत्र का नवीकरण	1000 रु०
(घ) व्यवसाय के प्रमाणपत्र की अनुलिपि जारी करना	750 रु०”
4. मूल नियमों के नियम 10 में—
 - (क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1) प्रत्येक नोटरी नीचे वर्णित दरों से अनधिक शुल्क प्रभारित कर सकेगा, अर्थात:—

(क) एक लिखत के अनादरण प्रमाणन के लिए:	
यदि लिखत की राशि 10,000 रु० से अधिक न हो	50 रु०
यदि यह 10,000 रु० से अधिक है किंतु 25,000 रु० से अनधिक है	100 रु०
यदि यह 25,000 रु० से अधिक है किंतु 50,000 रु० से अनधिक है	150 रु०
यदि यह 50,000 रु० से अधिक है	200 रु०
(ख) किसी लिखत के प्रसाक्ष्यन के लिए	
यदि लिखत की राशि 10,000 रु० से अनधिक है	50 रु०
यदि यह 10,000 रु० से अधिक है किंतु 25,000 रु० से अनधिक है	100 रु०
यदि यह 25,000 रु० से अधिक है किंतु 1,00,000 रु० से अनधिक है	150 रु०
यदि यह 1,00,000 रु० से अधिक है	200 रु०
(ग) आदरण के लिए संदाय की किसी घोषणा को अभिलिखित करने के लिए	100 रु०
(घ) प्रसाक्ष्य की दूसरी प्रति	मूल प्रति के प्रभार का आधा
(ङ.) किसी लिखत के निष्पादन के सत्यापन, अधिप्रमाणन, प्रमाणन या अनुप्रमाणन के लिए	35 रु०
(च) किसी वचन-पत्र, हुंडी या विनिमय-पत्र को स्वीकृति या भुगतान के लिए या बेहतर प्रतिभूति की मांग करने के लिए प्रस्तुत करने के लिए	50 रु०
(छ) किसी व्यक्ति को शपथ दिलवाने या उससे शपथपत्र लेने के लिए	35 रु०
(ज) किसी अन्य देश या भारत से बाहर किसी स्थान में लागू होने के लिए ऐसे प्ररूप और भाषा में ऐसी लिखत तैयार करने के लिए जो उस स्थान की विधि के अनुरूप हो जहां ऐसे विलेख का प्रवर्तन किया जाना आशयित है	200 रु०
(झ) किसी अन्य देश में या भारत के बाहर किसी स्थान में प्रभावी होने के लिए ऐसे प्ररूप और भाषा में जो उस स्थान की विधि के अनुरूप हो जहां ऐसे विलेख का प्रवर्तन किया जाना आशयित है, किसी ऐसी लिखत के अनुप्रमाणन या अधिप्रमाणन के लिए	200 रु०
(ञ) किसी दस्तावेज का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद और अनुवाद का सत्यापन करने के लिए	100 रु०
(ट) पोत का प्रसाक्ष्य, नौका का प्रसाक्ष्य या डेमरेज या अन्य वाणिज्यिक मामले से संबंधित प्रसाक्ष्य के अनादरण प्रमाणन और उसे लेखबद्ध करने के लिए:	200 रु०
(ठ) मूल की सत्य प्रतिलिपियों के रूप में दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के लिए	10 रु० प्रतिपृष्ठ न्यूनतम 20 रु०
(ड) किसी अन्य नोटरी कार्य के लिए:	ऐसी राशि, जो समुचित सरकार समय-समय पर नियत करे

ख . उपनियम (3) में शब्द “पांच रुपये” के स्थान पर, शब्द “बीस रुपये” रखे जाएंगे ।

1. मूल नियमों के नियम 12 में, अंत में दी गई मोहर में, “नाम , क्षेत्र, रजि० सं०..... ”शब्दों के स्थान पर, “नाम, क्षेत्र....., पंजी०सं०....., समाप्ति की तारीख..... ”शब्द रखे जाएंगे ।

[फा.सं. 5(187) /2003 -एनसी]

आर. एस. शुक्ल, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 14.02.1956 के का.नि.आ. सं. 324 द्वारा प्रकाशित हुए थे और तत्पश्चात् संशोधन सा.का.नि. 370(अ.) तारीख 08.07.1997, सा.का.नि. 547(अ.) तारीख 31.08.1998, सा.का.नि. 17(अ.) तारीख 05.01.2000, सा.का.नि. 262(अ.) तारीख 28.03.2000, सा.का.नि. 630 (अ) तारीख 21.07.2000, सा.का.नि. 172(अ) तारीख 12.03.2001, सा.का.नि. 330 (अ) तारीख 09.05.2001, सा.का.नि. 460 (अ) तारीख 25.06.2001, सा.का.नि. 467 (अ) तारीख 09.06.2003, सा.का.नि. 296 (अ) तारीख 19.05.2006, सा.का.नि. 441 (अ) तारीख 24.07.2006, सा.का.नि. 501 (अ) तारीख 24.08.2006, सा.का.नि. 73 (अ) तारीख 09.02.2007, सा.का.नि. 86 (अ) तारीख 14.02.2007, सा.का.नि. 330(अ) तारीख 08.05.2007 के साथ पठित सा.का.नि. 319 (अ) तारीख 01.05.2007, सा.का.नि. 686 (अ) तारीख 31.10.2007, सा.का.नि. 51(अ) तारीख 23.01.2008, सा.का.नि. 636 (अ) तारीख 03.09.2008, सा.का.नि. 764 (अ) तारीख 03.11.2008, सा.का.नि. 114 (अ) तारीख 24.02.2009, सा.का.नि. 700 (अ) तारीख 24.09.2009 और सा.का.नि. 843 (अ) तारीख 25.11.2009, सा.का.नि. 49 (अ) तारीख 25.01.2012, सा.का.नि. 632 (अ) तारीख 14.08.2012 और सा.का.नि. 662 (अ) तारीख 31.08.2012 के द्वारा किए गए।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2014

G.S.R. 150 (E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely :—

1. (1) These rules may be called the Notaries (Amendment) Rules, 2014.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Notaries Rules, 1956(hereinafter referred to as the principal Rules), in rule 8B, for the words “three months”, the words “six months” shall be substituted.
3. In the principal Rules, in rule 9, for clauses (a) to (d), the following clauses shall be substituted, namely:—

“ (a) issue of certificate of practice	—	₹ 2000
(b) extension of area of practice	—	₹ 1500
(c) renewal of certificate of practice	—	₹ 1000
(d) issue of a duplicate certificate of practice	—	₹ 750 ”
4. In the principal Rules, in rule 10 –
(A) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
“(1) Every notary may charge fees not exceeding the rates mentioned below, namely :—

(a) For noting an instrument

if the amount of the instrument does not exceed rupees 10,000	—	₹ 50
If it exceeds rupees 10,000 but does not exceed rupees 25,000	—	₹ 100
If it exceeds rupees 25,000 but does not exceed rupees 50,000	—	₹ 150
If it exceeds rupees 50,000	—	₹ 200

(b) For protesting an instrument—		
If the amount of the instrument does not		
If it exceed rupees 10,000	—	₹ 50
If it exceeds rupees 10,000 but does not		
exceed rupees 25,000	—	₹ 100
if it exceeds rupees 25,000 but does not		
exceed rupees 1,00,000	—	₹ 150
if it exceeds rupees 1,00,000	—	₹ 200
(c) For recording a declaration of payment for honour	—	₹ 100
(d) Duplicate protests	—	half the charge of original
(e) For verifying, authenticating, certifying or		
Attesting the execution of any instrument	—	₹ 35
(f) For presenting any promissory note, hundi		
Or bill of exchange for acceptance or		
payment or demanding better security	—	₹ 50
(g) For administering oath to, or taking	—	₹ 35
Affidavit from any person		
(h) For preparing any instrument intended to		
Take effect in any country or place outside	—	₹ 200
India in such form, and language as may		
Conform to the law of the place where		
such deed is intended to operate		
(i) For attesting or authenticating any		
Instrument to take effect in any country or		
Place outside India in such form and	—	₹ 200
Language as may conform to the law of		
The place where such deed is intended to		
Operate.		
(j) For translating and verifying the		
Translation of any document from one		
Language to another	—	₹ 100
(k) For noting and drawing up ship's		
Protest, boat protest or protest	—	₹ 200
Relating to demurrage and other commercial		
Matter		

(l) For certifying copies of documents as

True copies of the original

— ₹ 10 per page
minimum ₹ 20

(m) for any other notarial act

— such sum as the
Appropriate Government
may fix from time to
time.”;

B. in sub-rule (3), for the words “rupees five”, the words “rupees twenty” shall be substituted.

5. In rule 12 of the principal Rules, in the Seal given at the end, for the words “ Name....., Area.....,Regn. No.....”, the words “ Name....., Area.....,Regn. No..... Expiry Date.... .” shall be substituted.

[F. No. 5 (187)/2003-NC]

R. S. SHUKLA, Jt. Secy. & Legal Adviser

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.R.O. 324, dated 14.02.1956 and subsequently amended by G.S.R. 370 (E), dated 08.07.1997, G.S.R. 547 (E), dated 31.8.1998, G.S.R.17 (E), dated 05.01.2000, G.S.R.262 (E), dated 28.03.2000, G.S.R.630 (E), dated 21.07.2000, G.S.R.172 (E), dated 12.03.2001, G.S.R. 330 (E), dated 09.05.2001, G.S.R. 460 (E), dated 25.06.2001, G.S.R. 467 (E), dated 09.06.2003, G.S.R. 296 (E), dated 19.05.2006, G.S.R. 441 (E), dated 24.07.2006, G.S.R. 501(E) dated 24.08.2006, G.S.R. 73 (E), dated 09.02.2007, G.S.R. 86 (E), dated 14.02.2007, G.S.R. 319 (E) dated 01.05.2007 read with G.S.R. 330 (E) dated 08.05.2007, G.S.R. 686 (E), dated 31.10.2007, G.S.R. 51 (E), dated 23.01.2008, G.S.R. 636 (E), dated 03.09.2008, G.S.R. 764 (E) dated 03.11.2008, G.S.R.114 (E) dated 24.02.2009, G.S.R.700 (E) dated 24.09.2009 and G.S.R. 843 (E) dated 25.11.2009, G.S.R. 49(E) , dated 25.01.2012, G.S.R. 632 (E) dated 14.08.2012 and G.S.R. 662 (E) dated 31.08.2012.